शहीद कैप्टन विक्रम बत्तरा महाविद्यालय पालमपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 के छात्र निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2012 से 3/2016

भाग–एक

1. गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्यवाई के सत्यापनोपरान्त अंकेक्षण पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है। शेष अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु महाविद्यालय प्रशासन को अतिशीघ्र उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/2000

1.	पैरा संख्या 5	अनिर्णीत	
2.	पैरा संख्या 7	अनिर्णीत	
3.	पैरा संख्या 8	अनिर्णीत	
4.	पैरा संख्या 11 (क), (ख), (ग), (घ) व (च)	अनिर्णीत	
5.	पैरा संख्या 13	अनिर्णीत	(गलत दिए गए मानदेय ₹1200 बारे)
6.	पैरा संख्या 15	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2002

1.	पैरा संख्या 4	अनिर्णीत	(अनुपस्थिति निधि ₹83525 की कम वसूली बारे)
2.	पैरा संख्या 5 (क)	अनिर्णीत	(गलत दिए गए मानदेय ₹1500 के सन्दर्भ में)
3.	पैरा संख्या 5 (ख)	अनिर्णीत	
4.	पैरा संख्या 6	अनिर्णीत	
5.	पैरा संख्या 7 (ख,ग)	अंशतः निर्णीत	
6.	पैरा संख्या 7 (च)	अनिर्णीत	
7.	पैरा संख्या 7 (झ)	अनिर्णीत	
8.	पैरा संख्या 7 (ञ)	अनिर्णीत	
9.	पैरा संख्या 7 (प), (फ), (ब)	अनिर्णीत	
10.	पैरा संख्या 8	अनिर्णीत	
11.	पैरा संख्या 9 (क)	अनिर्णीत	
12.	पैरा संख्या 9 (ग)	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2006

1.	पैरा संख्या 4	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)
2.	पैरा संख्या 5 (7)(2)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
3.	पैरा संख्या 5 (7)(4.1)	अनिर्णीत	
4.	पैरा संख्या 6 (क)	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)
5.	पैरा संख्या 6 (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
6.	पैरा संख्या 6 (ग)	अनिर्णीत	
7.	पैरा संख्या 7 (ग)	अनिर्णीत	
8.	पैरा संख्या 8	अनिर्णीत	
9.	पैरा संख्या 10	अनिर्णीत	
10.	पैरा संख्या 11(1)	अनिर्णीत	
11.	पैरा संख्या 11(3)	अनिर्णीत	
12.	पैरा संख्या 13 (क), (ख), (ग), (घ)	अनिर्णीत	
13.	पैरा संख्या 16(1 से 10 तक)	अनिर्णीत	
14.	पैरा संख्या 17	अनिर्णीत	
15.	पैरा संख्या 18(क)	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)
16.	पैरा संख्या 18(ख)	अनिर्णीत	
17.	पैरा संख्या 18(ग)	अनिर्णीत	

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2009

1.	पैरा संख्या 4	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)
2.	पैरा संख्या 5 (1 से 8तक)	निर्णीत	(विभिन्न निधियों की वर्तमान वित्तीय स्थिति पुनः वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित की गई है)
3.	पैरा संख्या 6	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)
4.	पैरा संख्या 7 (क)	अनिर्णीत	
5.	पैरा संख्या 7 (ख)	अनिर्णीत	
6.	पैरा संख्या 7 (ग)	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)
7.	पैरा संख्या 8 (क)	अनिर्णीत	
8.	पैरा संख्या 8 (ख)	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)

9.	पैरा संख्या 9	अनिर्णीत	
10.	पैरा संख्या 10	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)
11.	पैरा संख्या 11	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)
12.	पैरा संख्या 12 (क)	अनिर्णीत	
13.	पैरा संख्या 12 (ख)	निर्णीत	(निविदाओं के अवलोकन के उपरान्त)
14.	पैरा संख्या 13 (क), (ख), (ग)	अनिर्णीत	
15.	पैरा संख्या 14 (क)	अनिर्णीत	
16.	पैरा संख्या 14 (ख)	अनिर्णीत	
17.	पैरा संख्या 14 (ग)	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)
18.	पैरा संख्या 14 (घ)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
19.	पैरा संख्या 14 (ङ.)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
20.	पैरा संख्या 14 (च)	अनिर्णीत	
21.	पैरा संख्या 14 (छ)	अनिर्णीत	
22.	पैरा संख्या 15	अनिर्णीत	
23.	पैरा संख्या 16 (क)	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)
24.	पैरा संख्या 16 (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
25.	पैरा संख्या 16 (ग)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
26.	पैरा संख्या 17	निर्णीत	(–यथोपरि–)
27.	पैरा संख्या 18	निर्णीत	(–यथोपरि–)
28.	पैरा संख्या 19	अनिर्णीत	
29.	पैरा 20 (क)	अनिर्णीत	
30.	पैरा 20 (ख)	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)
31.	पैरा 20 (ग)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
32.	पैरा 20 (घ)	अनिर्णीत	
33.	पैरा 21	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)
34.	पैरा 22	निर्णीत	(–यथोपरि–)
35.	पैरा 23 (क)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
36.	पैरा 24	निर्णीत	(वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया)

37.	पैरा 25 (क)	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)
38.	पैरा 25 (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
39.	पैरा 25 (ग)	निर्णीत	(–यथोपरि–)

(ङ.) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2012

1.	पैरा संख्या 3	निर्णीत	
2.	पैरा संख्या 4	निर्णीत	(वर्तमान प्रतिवेदन में विभिन्न निधियों की वर्तमान स्थिति पुनः प्रारूपित की गई है)
3.	पैरा संख्या 5	अनिर्णीत	(जुर्माना निधि ₹40439 की कम वसूली के बारे)
4.	पैरा संख्या 6 (i)	अनिर्णीत	
5.	पैरा संख्या 6 (ii)(क)	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख/उत्तर के आधार पर)
6.	पैरा संख्या 6 (ii)(ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
7.	पैरा संख्या 6 (ii)(ग)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
8.	पैरा संख्या 6 (iii)	अनिर्णीत	
9.	पैरा संख्या 7 (i)	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख/उत्तर के आधार पर)
10.	पैरा संख्या 7 (ii)	अनिर्णीत	
11.	पैरा संख्या 7 (iii) (क) (ख)	निर्णीत	(प्रस्तुत/उत्तर/अभिलेख की जांच के आधार पर)
12.	पैरा संख्या 7 (iv)	अनिर्णीत	
13.	पैरा संख्या 7(v)(vi)	अनिर्णीत	
14.	पैरा संख्या 7 (vii)	अनिर्णीत	
15.	पैरा संख्या 7 (viii)	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)
16.	पैरा संख्या 7 (ix)	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख/उत्तर के आधार पर)
17.	पैरा संख्या 8 (i)(ii)(iii) और (iv)	अनिर्णीत	
18.	पैरा संख्या 9	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर)
19.	पैरा संख्या 10	अनिर्णीत	
20.	पैरा संख्या 11 (i)(ii)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर/अभिलेख के आधार पर)

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

महाविद्यालय के वर्तमान छात्र निधि लेखों (अवधि 4/2012 से 3/2016) का वर्तमान अंकेक्षण/जांच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री विजय कुमार वालिया, सहायक नियन्त्रक द्वारा दिनांक 21.6.2016 से 10.8.2016 के दौरान पालमपुर में किया गया। आय के लिए माह 6/12, 6/13, 6/14 व 6/15 तथा व्यय के लिए माह 3/13, 11/13, 11/14 व 9/15 के लेखों का चयन विस्तृत जांच हेतु किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति को महाविद्यालय के प्राचार्य/नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध/प्रस्तुत करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं करवाई गई है कि जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

अंकेक्षण के दौरान महाविद्यालय में निम्न विवरणानुसार प्राचार्य आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहेः–

क्र0 सं0	प्राचार्य का नाम	कार्य की अवधि
1.	श्री पी0एस0 पंवार	5.9.2011 से 31.3.2013 तक
2.	श्रीमति निर्मल सूद	1.4.2013 से 31.3.2015 तक
3.	श्री अनिल कुमार जरियाल	2.4.2015 से लगातार

3. अंकेक्षण शुल्क :–

महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण शुल्क वार्षिक प्राप्तियों (निधियों+संचायिका) के आधार ₹32000 बनता है, जिसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला को भेजने बारे महाविद्यालय के प्राचार्य को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 20, दिनांक 1.8.2016 द्वारा अनुरोध किया गया। महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को एच0डी0एफ0सी0 बैंक के ड्राफ्ट संख्याः 001712, दिनांक 1.8.2016 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला को प्रेषित कर दिया है।

4. वित्तीय स्थिति :–

(i) महाविद्यालय की विभिन्न निधियों की वित्तीय स्थिति (अवधि 4/2012 से 3/2016 तक) का विवरण **परिशिष्ट "क"** में दिया गया है।

(ii) निवेश :– विभिन्न निधियों से सावधि जमा योजना में किए गए निवेश का विवरण **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है।

5. शैक्षणिक सत्र 2015–16 में छात्रों से प्राप्त प्रवेश शुल्क/शिक्षा शुल्क की ₹418090/– को सरकारी खजाने में देरी से जमा करवाने बारे :–

महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2015–16 में छात्रों से प्राप्त प्रवेश शुल्क, शिक्षा शुल्क एवं अन्य छात्र निधियों की जांच पड़ताल पर पाया गया कि माह जून, जुलाई 2015 में छात्रों से निम्न विवरणानुसार प्राप्त की गई प्रवेश शुल्क और शिक्षा शुल्क की ₹418090 को सरकारी खजाने में बहुत समय के बाद जमा करवाया गया, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

क्र0 सं0	दिनांक	प्रवेश शुल्क	देरी का प्रवेश शुल्क	शिक्षा शुल्क	कुल राशि
1.	18.6.2015	5200	–	28800	34000
2.	19.6.2015	5700	–	20100	25800
3.	20.6.2015	2500	–	12300	14800
4.	22.6.2015	1375	–	7200	8575
5.	23.6.2015	175	–	1200	1375
6.	25.6.2015	5175	–	24000	29175
7.	26.6.2015	10325	–	38700	49025
8.	27.6.2015	7800	–	35100	42900
9.	29.6.2015	8650	6920	41100	56670
10.	30.6.2015	11475	13800	65100	90375
11.	11.7.2015 to 25.7.2015	–	–	–	65375
				कुल योग	**₹418090**

जांच–पड़ताल में यह पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त राशि में से ₹365985 को निम्न विवरणानुसार सरकारी खजाने में जमा करवाया गया है।

क्र0 सं0	चालान सं0	दिनांक	राशि जो जमा करवाई गई
1.	71	10.7.2015	300590
2.	58	14.7.2015	11120
3.	15	16.7.2015	20575
4.	65	20.7.2015	16855
5.	10	21.7.2015	16845
		कुल योग	**₹365985**

शेष ₹52105 को महाविद्यालय द्वारा दिनांक 7.10.2015 को चालान संख्याः 49 द्वारा सरकारी कोष में जमा करवाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राजकीय कोष में ₹52105 को महाविद्यालय द्वारा लगभग तीन महीने के बाद जमा करवाया गया, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, क्योंकि नियमानुसार सरकारी धन को दूसरे कार्य दिवस को सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है।

अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं को रोका जा सके।

6. जुर्माना निधि :–

माह 3/2013 में जुर्माना निधि से व्यय किए गए ₹130255 के वाउचरों की जांच–पड़ताल पर निम्नलिखित आपत्तियां दर्ज की गई। महाविद्यालय द्वारा यह व्यय वर्ष 2012–13 के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह जोकि दिनांक 18.2.2013 को आयोजित किया गया, उसमें छात्रों को पारितोषिक स्परूप बांटी गईं पुस्तकों व स्मृति चिन्हों पर व्यय किया गया है।

1. (क) महाविद्यालय द्वारा ₹40300 का भुगतान मै0 हिम बुक सैन्टर पालमपुर को उनके बिल संख्या 3811–3827, दिनांक 16.2.2015 द्वारा किया गया और ₹44383 का भुगतान मै0 डडवाल स्टेशनर एवं स्पोर्ट धर्मशाला को उनके बिल संख्या 261–270 दिनांक 26.2.2013 के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त ₹11867 का भुगतान मै0 गोयल बुक डिपो पालमपुर को उनके बिल संख्याः 1067–1069, दिनांक 15.2.2015 के लिए किया गया। इन सभी विक्रेताओं से पुस्तकों का क्रय किया गया। जांच–पड़ताल पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा कार्यालय आदेश संख्याः शून्य दिनांक 6.2.2013 द्वारा चार अधिकारियों की पुस्तकों को खरीदने हेतु समिति गठित गई थी और समिति सदस्यों को दिनांक 14.2.2013 को चण्डीगढ़ बाजार से पुस्तकें खरीदने हेतु अधिकृत किया

गया था। अतः यह स्पष्ट किया जाए कि जब पुस्तकों को चण्डीगढ़ मार्केट से खरीदने हेतु कमेटी का गठन किया गया था, तो पुस्तकों की खरीद स्थानीय बाजार से क्यों की गई है।

(ख) मै0 हिम बुक सैन्टर पालमपुर को ₹100 का भुगतान Transportation Charges के रूप में किया गया है, जोकि देय नहीं था। अतः ₹100 की वसूली करके जुर्माना निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

2. ₹33705 का भुगतान मै0 हिम स्पोर्ट एंड म्यूजिक हाऊस पालमपुर को निम्नलिखित सामान की खरीद हेतु किया गया है।

1.	Track Suite	2 No.	3000
2.	Track Suite	4 No.	4000
3.	Track Suite	7 No.	4200
4.	Sports cup with wooden base	12 No.	1800
5.	-do-	12 No.	3000
6.	Momentos	11 No.	1100
7.	Momentos	17 No.	5100
8.	Momentos	16 No.	6400
9.	Momentos	7 No.	3500
		योग	**32100**
		वैट 5%	**1605**
		कुल योग	**33705**

यह सभी ईनाम वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में दिनांक 18.2.2013 को मुख्यातिथि द्वारा विजेता छात्रों को बांटे गए, परंतु अभिलेख की जांच–पड़ताल पर पाया गया कि जिन–जिन छात्रों को यह ईनाम बांटे गए। उनका कोई भी विवरण तैयार नहीं किया गया, जिससे यह पता चल सके कि वास्तव में यह सामान विजेता छात्रों को वास्तव में बांटा गया है या नहीं। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए अन्यथा चूककर्ता के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाए।

7. **पुस्तकालय प्रतिभूति निधि :–**

<u>वाउचर संख्याः 1, दिनांक 28.3.2013, ₹34989</u>

मै0 साई डाटा सिस्टम (पा0) लिमिटिड, पालमपुर को उनके बिल संख्याः 3051, दिनांक 26.3.2013 हेतु ₹37489 का भुगतान किया गया। उक्त बिल द्वारा पुस्तकालय के लिए 2No. investor and Tubular Battery की खरीद निम्न निविदा की दर के आधार पर की गई है। इसके अतिरिक्त ₹1500 का भुगतान मै0 साई डाटा सिस्टम, पालमपरु को उनके बिल संख्याः 3058, दिनांक 28.3.2013 के लिए किया गया, यह बिल Invertor के Installation Charges हेतु दिया गया है। अभिलेख एवं निविदाओं की जांच–पड़ताल पर पाया गया कि ₹1500 का Installation Charges के रूप में लेने बारे कोई उल्लेख नही था। अतः मै0 साईं डाटा सिस्टम पालमपुर को ₹1500 का भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करके पुस्तकालय प्रतिभूति निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय Ordinance के प्रावधानों के अनुसार यह व्यय इस निधि पर उचित/वैद्य नहीं है। अतः इस अनियमित भुगतान को सक्षम अधिकारी से कर्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए अन्यथा संपूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से प्राप्त करके इसे वापस उक्त निधि के खाते में जमा करवाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8. **विज्ञान निधि :–**

(i) <u>वाउचर संख्याः 6, दिनांक 22.11.2014, ₹328750</u>

₹328750 का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट संख्याः 560213, दिनांक 22.11.2014 द्वारा वित्त नियन्त्रक, हि0प्र0 विश्वविद्यालय शिमला को B.A, B-Com, BSC 3rd Year के छात्रों के लिए 2014–15 सत्र के परीक्षा फार्म मंगवाने हेतु किया गया। यह व्यय विज्ञान निधि पर उचित प्रभार नहीं है। चर्चा में बताया गया कि उस समय विश्वविद्यालय निधि में पैसे की कमी थी, इसलिए यह व्यय विज्ञान निधि से किया गया था, परन्तु जांच–पड़ताल पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि तक विश्वविद्यालय निधि यथोचित राशि होने के बावजूद ₹328750 को विज्ञान निधि से वापिस जमा नहीं करवाया गया है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और अतिशीघ्र विश्वविद्यालय निधि से ₹328750 अन्तरित कर विज्ञान निधि में जमा करवाए जाएं तथा कृत अनुपालना आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(i) वाउचर संख्याः शून्य, दिनांक 5.3.2013, ₹2785

₹585 का भुगतान मै0 अमित हार्डवेयर स्टोर, पालमपुर को बिल संख्याः 1956, दिनांक 25.2.2013 के लिए किया गया, जिसमें एक बैग (20KG) पुट्टी की खरीद की गई है। अभिलेख की जांच पर पाया गया कि उक्त सामान का किसी भी भण्डार रजिस्टर में ईन्द्राज नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त ₹2200 का भुगतान श्री बिहारी लाल मिस्त्री को दिनांक 26.2.2013 को किया गया है। जांच–पड़ताल पर पाया गया कि भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में Removal of Shelve"s की मुरम्मत का कार्य करवाया गया, जिसमें Plaster और P.O.P का कार्य करवाया गया, जिस हेतु श्री बिहारी लाल मिस्त्री निवासी पालमपुर को ₹2200 का भुगतान किया गया। इस भुगतान बारे कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया, जिससे यह पता चल सके कि मिस्त्री द्वारा कितने दिन कार्य किया गया और इस कार्य में क्या–क्या सामग्री प्रयोग की गई, जिससे भुगतान की राशि को उचित ठहराया जा सके। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि को वसूल करके विज्ञान निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

हि0प्र0 विश्वविद्यालय Ordinance के प्रावधानों के अनुसार यह व्यय इस निधि पर वैद्य प्रभार नहीं है। अतः इस अनियमित भुगतान को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से प्राप्त करके विज्ञान निधि के खाते में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9. विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम भुगतान के समायोजन को अग्रिम रजिस्टर में दर्ज न करना :–

जांच पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों को करवाने के एवज में अग्रिम भुगतान किए जाते हैं, लेकिन उन अग्रिम धनराशि के समायोजन को अग्रिम रजिस्टर पर नहीं दर्शाया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस कार्य के लिए अग्रिम भुगतान किया गया था वह कार्य पूरा नहीं हुआ है। अंकेक्षण के दौरान अग्रिम भुगतान रजिस्टर को तैयार करवाया गया और यह पाया गया कि वर्ष 2012 में दो अग्रिम भुगतान किए गए थे (जिनका विवरण परिशिष्ट–ग में दिया गया है) जिनको आज दिन तक समायोजित नहीं करवाया गया है।

अतः यह मामला महाविद्यालय प्रशासन के ध्यान में लाया जाता है, ताकि जिस अधिकारी को यह अग्रिम धनराशि का भुगतान किया गया था, उससे ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली

सुनिश्चित हो सके, क्योंकि ₹12699 का अग्रिम वर्ष 2012 में प्रदान किया गया था, अगर अग्रिम का उसी उद्धेश्य पर उपयोग किया गया होता, जिस उद्धेश्य हेतु प्रदान किया गया था तो आजतक इसका समायोजन हो चुका होता। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह राशि अभी तक उपयोग ही नहीं हुई है। इस मामले की पूरी छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए, अन्यथा धनराशि ₹12699 की दण्ड ब्याज सहित वसूली करके मिश्रित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

10. मिश्रित निधि :–

वाउचर संख्याः 27, दिनांक 22.11.2014, ₹338954,₹99517 के अनुचित भुगतान बारेः–

महाविद्यालय द्वारा ₹338954 का भुगमान 20K.V.A 3 Phase Manual Generator Set की खरीद एवं स्थापना पर किया गया है। अभिलेख की जांच पड़ताल पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा ₹338954 का भुगतान श्री सतीश कुमार शर्मा, सरकारी संविदाकार को चैक संख्याः 240936, दिनांक 22.11.2014 द्वारा उनके बिल संख्याः 22, दिनांक 17.11.2014 और बिल संख्या शून्य, दिनांक 17.11.2014 ₹481954 व ₹57000 के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त ₹200000 रूपये का अग्रिम भुगतान दिनांक 9.10.2014 को तब किया गया था, जब उपरोक्त कार्य को करवाने हेतु आपूर्ति आदेश संख्याः EDN-KGR-GCP/2013-14/Acctts/Purchase-2014-954, दिनांक 10.9.2014 जारी किया गया था। उपरोक्त बिलों की जांच पर निम्नलिखित गम्भीर आपत्तियां दर्ज की गई हैं जिस बारे पूर्ण जांच करके दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(क) महाविद्यालय द्वारा जेनरेटर सैट की खरीद न्यूनतम निविदा के आधार पर की गई और निविदाएं तीन फर्मों से दो प्रकार के जेनरेटर सैट (i) Sonalika (ii) Kirloskar के लिए आमन्त्रित की गई। निविदा नोटिस जारी करने से पहले कोई प्राकलन तैयार नहीं किया गया था, जिससे यह पता चल सके कि क्या–क्या Assessories जेनरेटर सैट की स्थापना के लिए अपेक्षित हैं। निविदाएं जिन फर्मों से आमन्त्रित की गई उनमें से कोई भी इन कम्पनियों का प्राधिकृत विक्रेता नहीं है और न ही कम्पनी की दर सूची को ध्यान में रखकर जेनरेटर सैट की खरीद की गई, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ख) निविदाओं की जांच पड़ताल पर पाया गया कि तीनों फर्मों की निविदाएं श्री सतीश कुमार शर्मा द्वारा उपलब्ध करवाई गई है और तीनों निविदाओं में एक जैसी हस्तलिपि प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त जब यह निविदाएं महाविद्यालय द्वारा खोली गई और तुलनात्मक विवरणी

तैयार की गई, तो उसमें 13 मदों की दरें प्राप्त की गईं, जिससे प्रतीत होता है कि निविदाएं खुलने के बाद कार्यालय स्तर पर निविदाओं को साथ छेड़छाड़ करके उसके 8 No. अतिरिक्त मदों की दरों को जोड़ा गया है, जिनमें से निम्नलिखित अन्य मदों के लिए संविदाकार श्री सतीश कुमार शर्मा को उनके बिल संख्याः 22, दिनांक 17.11.2014 में ₹42517 का अनुचित भुगतान किया गया है।

Sr. No.	Name of Item	Rate	Total Amount
1.	32mtr. 3.5Core Armound Cable	405.00	12960.00
2.	60mtr. 4Core Armound Cable	381.00	22860.00
3.	8No. M.C.B 16Amp	162.00	1296.00
4.	70mtr. Ind Cable	23.80	1666.00
5.	9No. PVC Pipe 1.2mm	57.00	513.00
6.	9No. PVC Pipe 2"	399.00	1197.00
			₹40492.00
		Add Vat 5%	**₹2024.60**
		Total	**₹42516.60**

अतः कार्यालय स्तर पर निविदाओं से छेड़छाड़ के संदिग्ध मामले की जांच करके चूककर्ता के विरूद्ध उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुचित भुगतान की राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ग) उपरोक्त के अतिरिक्त जो निम्नलिखित अन्य मदें निविदाओं में बाद में जोड़ी गई हैं, उसके लिए संविदाकार श्री सतीश कुमार शर्मा को ₹57000 का भुगतान किया गया है, जिसका विवरण बिल संख्याः शून्य दिनांक 17.11.2014 में निम्न प्रकार से दिया गया है।

1.	Gen Shed Complete with Jali with Pala and with Chadder 12.5x10.5 with Labour	39140
2.	Plate form fer Gen. Set 10.5x 8.5 with Labour and Material	17860
	Total	**₹57000**

इस कार्य को करवाने हेतु कोई भी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई थीं, न ही अलग से निविदाएं आमन्त्रित की गईं, केवल कार्यालय स्तर पर पुरानी निविदाओं में छेड़छाड़ करके इन मदों को जोड़ा गया, क्योंकि जब क्रय समिति द्वारा तुलनात्मक विवरणी तैयार की गई थी, तो उसमें उपरोक्त मदें सम्मिलित नहीं थीं। इस प्रकार कार्यालय स्तर पर संविदाकार श्री

सतीश कुमार शर्मा को ₹57000 का अनुचित भुगतान किया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं पर अंकुश लग सके।

(घ) उपरोक्त जेनसैट एवं अन्य सामान की किसी भी भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई है, जिसे अविलम्ब किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए। भविष्य में इस प्रकार की खरीद सीधे कम्पनी से या उसके प्राधिकृत विक्रेता से की जाए ताकि खरीद में पारदर्शिता बनी रहे।

11. वाउचर संख्याः 18, दिनांक 17.11.2014, ₹27400

₹20867 के अनुचित भुगतान बारेः–

प्रो0 आर0 एस0 पटियाल (Convener-Hospitality Committee) को उनके द्वारा N.A.A.C (National Assessment and Accereditation Council) बैंगलोर की टीम द्वारा महाविद्यालय का दिनांक 14.9.2014 से 18.9.2014 तक किए गए भ्रमण पर आए अधिक व्यय के रूप में ₹27400 का भुगतान किया गया है। जांच पड़ताल पर पाया गया कि महाविद्यालय पालमपुर का तीन सदस्य N.A.A.C टीम द्वारा 14 से 18.9.2014 तक भ्रमण किया गया, जिनके रहने, खाने–पीने और यात्रा भत्ते पर कुल ₹182822 का व्यय किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(a)	Honorarium paid to each member"s	36000
(b)	Incidental Expenses	54397
(c)	Payment of T.A/D.A And Boarding Loading during journey Period	92425
	Total	**₹182822**

उपरोक्त व्यय हेतु मिश्रित निधि से दिनांक 16.9.2014 को ₹134000 का अग्रिम निकाला गया था और उसके बाद ₹20000 का अग्रिम पुनः अन्तरित किया गया और अन्त में वाउचर सं0 18 द्वारा ₹27400 का भुगतान किया गया। अतः 3 सदस्य N.A.A.C की टीम पर महाविद्यालय द्वारा मिश्रित निधि से कुल ₹181400 का खर्चा किया गया। शेष व्यय ₹1422 बारे कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया गया। उपरोक्त बिल वाउचरों की जांच पड़ताल पर निम्नलिखित आपत्तियां दर्ज की गईं, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(क) मै0 अमर लाईट एंड टैंट हाऊस, पालमपुर को ₹18000 का भुगतान उनके बिल संख्याः 744, दिनांक 20.9.2014 हेतु किया गया। उक्त बिल की जांच पर पाया गया कि अमर टैंट

हाऊस द्वारा 60नं0 दोपहर के खाने के लिए ₹200 प्रति खाना के हिसाब से ₹12000 और 20नं0 रात के खाने (Dinner) के लिए ₹300 रूपये के हिसाब से ₹6000 (कुल ₹18000 रूपये) वसूल किए।

N.A.A.C की 3 सदस्य टीम महाविद्यालय में सिर्फ 5 दिन रही, जिनका Lunch और Dinner का कुल खर्च ₹7500 बनता है। (3x5x500) अतः अधिक खर्च की गई ₹10500 (18000–7500) बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसी प्रकार मै0 अमर टैंट हाऊस, पालमपुर को ₹9000 का भुगतान उनके बिल संख्याः 743, दिनांक 20.9.2014 के लिए किया गया, जिसमें उन्होंने 20No. नाश्ता @₹150 each और 200Nos चाय व स्नैक्स @₹30 each की आपूर्ति की है। जांच पड़ताल पर यह भी पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा कोई भी निविदाएं उक्त सामान की आपूर्ति हेतु किसी भी रेस्टारैंट या होटल से नहीं ली गई थी, जिससे यह पता चल सके कि मै0 अमर लाईट एंड टैंट हाऊस द्वारा जो दरें वसूल की गईं है, वो उचित या निम्न दरें हैं। अतः मै0 अमर टैंट हाऊस पालमपुर को कुल ₹27000 का भुगतान बिना निविदाओं के करना उचित प्रतीत नहीं होता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ख) मै0 नरयाल ट्रैवल पालमपुर को उनके बिल संख्याः 605, दिनांक 14.9.2014 हेतु ₹12500 का भुगतान किया गया। बिल की जांच पड़ताल पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा 6 दिन के लिए एक टैक्सी N.A.A.C टीम के सदस्यों के भ्रमण हेतु ₹2500 प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर ली गई, परन्तु न्यूनतम दर हेतु किसी प्रकार की निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त ₹1500 का भुगतान M/s Naryal Travel, पालमपुर को उनके बिल संख्याः 603, दिनांक 14.9.2014 के लिए किया गया। बिल की जांच पड़ताल पर पाया गया कि ₹1500 का भुगतान दिनांक 14.9.2014 को N.A.A.C टीम के सदस्य को गगल एयरपोर्ट से पालमपुर लाने के लिए किया गया है, जोकि उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जब महाविद्यालय द्वारा 5 दिन के लिए ₹2500 प्रतिदिन का अतिरिक्त भुगतान क्यों किया गया। अतः ₹1500 की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए और राशि को मिश्रित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) महाविद्यालय द्वारा 3 सदस्य N.A.A.C टीम के पालमपुर दौरे पर व्यय की गई कुल ₹182822 की प्रतिपूर्ति का दावा, पत्र संख्याः EDN-KFR-GCP/2014-2218 दिनांक 1.12.2014 द्वारा Finiance Officer, N.A.A.C Post Box No. 1075, Nagarbhavi-Bangalore से किया गया था।

अभिलेख की जांच पड़ताल पर पाया गया कि वित्त अधिकारी NAAC द्वारा ₹161957 का भुगतान दिनांक 19.2.2015 को महाविद्यालय पालमपुर को कर दिया था और शेष ₹20865 का दावा अनुचित होने के फलस्वरूप प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः ₹20865 के अनुचित व्यय बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इसकी प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके मिश्रित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12. वाउचर संख्याः 23 व 24, दिनांक 18.11.2014, ₹72339 और ₹19500ः–

(क) ₹3444 के अनुचित भुगतान बारेः–

मै0 एम्बे हार्डवेयर, मल्लां जिला कांगड़ा से न्यूनतम निविदा के आधार पर बिल संख्याः 350, 352, दिनांक 10.10.2014 द्वारा ₹72339 का बाथरूम। Toilet fitting i.e. urinal pot, waste pipe etc का सामान महाविद्यालय के Boys Hostel की मुरम्मत हेतु क्रय किया गया। उक्त बिल एवं निविदाओं की जांच पड़ताल पर पाया गया कि खरीदे गए सामान पर वैट कर का कोई उल्लेख निविदाओं में नहीं किया गया था, जबकि उक्त बिल जिसकी ₹68895 का बनता है पर 5% वैट ₹3444 जोड़कर कुल बिल ₹72339 का भुगतान महाविद्यालय द्वारा किया गया है। अतः अधिक भुगतान की ₹3444 बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹3444 उचित स्त्रोत से वसूल करके मिश्रित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) मै0 ओम साई राम, लक्की प्लम्बर, आयमा पालमपुर को उनके बिल संख्याः शून्य, दिनांक 15.10.2014 के लिए ₹19500 का भुगतान किया गया है। महाविद्यालय द्वारा न्यूनतम निविदा के आधार पर मै0 ओम साई राम लक्की पलम्बर से लड़कों के हास्टल में बाथरूम इत्यादि की मुरम्मत का कार्य करवाया। निविदा ओर बिल की जांच पड़ताल पर पाया गया कि लक्की पलम्बर द्वारा 45नं0 वेस्ट पाईप की फिटिंग की गई, जबकि मै0 एम्बे हार्डवेयर–मल्लां से उपरोक्त बिल के अन्तर्गत 56नं0 वेस्ट पाईप की खरीद की गई था। अतः शेष बची 11नं0 वेस्ट पाईप जिनका मुल्य ₹880 बनता है; कहां पर है के बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, क्योंकि भण्डार रजिस्टर में कोई अन्त शेष नहीं दिखाया गया है। इसी प्रकार लक्की पलम्बर को 20नं0 PVC Connection Fitting के लिए ₹50 की दर से भुगतान किया गया दर्शाया गया है, जबकि मै0 एम्बे हार्डवेयर से कुल 19No. PVC Connection Fitting खरीदी गई थी।

इसी प्रकार 40No. Angle Value Fitting के ₹80 की दर से लक्की पलम्बर को ₹3200 का भुगतान किया गया, जबकि जांच पर पाया गया कि मै0 एम्बे हार्डवेयर मल्लां से कुल 20No. Angle Value की खरीद की गई थी। अतः इस प्रकार मै0 लक्की पलम्बर को ₹1600 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः यह मामला महाविद्यालय प्रशासन के ध्यान में जांच एवं उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है, ताकि पलम्बर को अधिक भुगतान की गई ₹1650 की वसूली उचित स्त्रोत से करके और 11नं0 वेस्ट पाईप के बारे स्थिति पता चल सके।

(ग) उपरोक्त वर्णित व्यय ₹91839 महाविद्यालय के हास्टल से सम्बन्धित है तथा नियमानुसार इसका भुगतान हास्टल निधि से किया जाना अपेक्षित था। अतः उपरोक्त व्यय को मिश्रित निधि खाते से करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके राशि मिश्रित निधि खाते में जमा करवाकर अनुपालना से विभाग को अवगत करवाया जाए।

13. वाउचर संख्याः 17, दिनांक 17.11.2014, ₹18500, ₹600 के अधिक भुगतान बारे :–

महाविद्यालय में Botanical Garden के लिए न्यूनतम दर संविदा के आधार पर Decorative Plant and Flower"s की खरीद मै0 धौलाधार फ्लावर नरसरी, 53 मील जिला कांगड़ा से की गई। बिल संख्याः 4468 से 4470 और 4583, दिनांक 17.9.2014 ₹18500 का भुगतान महाविद्यालय पालमपुर द्वारा किया गया। बिल और निविदाओं की जांच पड़ताल पर निम्नलिखित आपत्तियां दर्ज की गई।

(क) महाविद्यालय द्वारा अपने आपूर्ति आदेश (Supply order) में क्रय संख्याः 21 और 22 के पौधों के लिए 3No. प्रति का आपूर्ति आदेश जारी किया गया, परन्तु मै0 धौलाधार फ्लावर द्वारा अपने बिल में 5 नं0 पौधों के लिए पैसे जोड़े गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹600 का अधिक भुगतान महाविद्यालय द्वारा किया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके मिश्रित निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) खरीदे गए पौधों और फूलों को किसी भी रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है। नियमानुसार प्रत्येक खरीद सामग्री का किसी न किसी रजिस्टर में दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः किसी भी रजिस्टर में खरीदे गए उपरोक्त सामान को दर्ज न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ग) खरीदे गए सामान के बिलों में किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, जिसकी नियमानुसार हर खरीद के बिल पर यह प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है कि "Material i.e.

Plants and Flowers have been received in good condition and as per Supply Order/Bill"।

अतः बिल पर उक्त प्रमाण पत्र अंकित न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

14. वाउचर संख्याः शून्य, दिनांक 13.3.2013, ₹956, ₹162 के अधिक भुगतान बारे :–

उपरोक्त वाउचर की जांच पड़ताल पर पाया गया कि ₹956 का भुगतान अर्थशास्त्र प्रवक्ता को उनके द्वारा N.C.C Activity Camp में अग्रिम धन से अधिक व्यय की गई राशि हेतु चेक संख्याः 960181, दिनांक 13.3.2013 द्वारा किया गया। N.C.C Activity Camp पर हुए व्यय के वाउचरों की जांच पड़ताल पर पाया गया कि प्रवक्ता को ₹794 की राशि वास्तव में देय थी, जबकि महाविद्यालय द्वारा उन्हें ₹956 का भुगतान किया गया है। अतः अधिक भुगतान की गई ₹162 की वसूली उचित स्त्रोत से करके मिश्रित निधि में जमा करवाई जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15. वाउचर संख्याः शून्य, दिनांक 18.3.2013, ₹15233, ₹4500 के अनुचित भुगतान बारेः–

मै0 अजय इलेक्ट्रिकल वर्कस, भवारना को उनके बिल संख्याः 5, दिनांक 16.3.2015 हेतु चैक संख्याः 960184, दिनांक 18.3.2013 द्वारा ₹15233 का भुगतान किया गया है। अभिलेख की जांच पड़ताल पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर लैब (कमरा संख्याः 305) में बिजली की फिटिंग का कार्य न्यूनतम दर संविदा के आधार पर मै0 अजय इलैक्ट्रिकल वर्कस से करवाया गया। निविदाओं की जांच पड़ताल पर पाया गया कि सामान की फिटिंग के लिए अतिरिक्त भुगतान बारे कोई उल्लेख नहीं किया गया था, जबकि महाविद्यालय द्वारा ₹4500 का भुगतान Labour Charges के रूप में किया गया है।

अतः बिना निविदा के भुगतान की गई ₹4500 को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस राशि की वसूली करके मिश्रित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

16. लघु आपत्ति विवरणी :– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17. निष्कर्ष :–

लेखाओं के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है और गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में लम्बित पैरों के निस्तारण हेतु अतिशीघ्र उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)एच0(2)सी0(15)(11)(2) 468/2001, खण्ड–3– 6535–6537, दिनांकः 16.12.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1 प्राचार्य, शहीद कैप्टन विक्रम बतरा, राजकीय महाविद्यालय पालमपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, शिक्षा (उच्चतर शिक्षा), विभाग हि0प्र0 शिमला 171001

3 विशेष सचिव (शिक्षा) हि0प्र0 सरकार, शिमला–171002.

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.